E-OFFICE No. 1109674
DATE....14.3.16....

अत्यावश्यक

राजस्थान–सरकार
निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण
(ग्रामीण विकास विभाग)

क्रमांकः F 27(74) RD/SA/N.S.C/IAY/2015-16 जयपुर, दिनांक 11 मार्च, 2016

समस्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्राविप्र),
राजस्थान।

विषय :– इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रावधित प्रशासनिक मद का समुचित उपयोग करने बाबत्।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक एफ 27(63)ग्रावि/ग्रुप–5/इ.आ./सा.अंके./पार्ट–I/2013–14 दिनांक 27 अप्रैल, 2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में लेख है कि इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 से निरन्तर वर्ष 2015–16 तक 4.00 प्रतिशत राशि का प्रावधान प्रशारानिक मद में किया गया है। योजना के दिशा निर्देश के बिन्दु संख्या 3.6 के अनुसार योजना के सफल कियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रशासनिक मद की राशि के सदुपयोग हेतु जिलों को समय–समय पर निर्देशित किया जाता रहा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक M-13011/05/2013-RH dated 19th Feb., 2016 द्वारा प्रशासनिक मद की प्रावधित राशि का योजना के दिशा–निर्देशानुसार राशि का उपयोग नहीं किये जाने पर अवशेष राशि को दिनांक 31.03.2016 को व्ययगत (लेप्स) करने का निर्णय लिया है।

विभागीय पत्रांक एफ 27(63) दि. 04.12.2014, एफ 27(45) दि. 15.12.2015 एवं एफ 27(45) दि. 30.12.2015 द्वारा आवास योजनाओं का सामाजिक अकेंक्षण, भी महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कराये जाने हेतु सामाजिक अंकेक्षण के साथ कराने हेतु निर्देशित किया गया था जिस कम में आवश्यक कार्यवाही आपके स्तर से सम्पादित की गई है। वर्ष 2022 तक ''सभी को आवास'' ध्येय की पूर्ति हेतु ग्रामीण आवास कार्यकम की सभी गतिविधियों को Eletronic Platform पर (वर्ष 2015–16) हस्तान्तरित किया गया, एवं मोबाईल एपलीकेशन विकसित किया गया है। 01 अप्रैल, 2016 से सभी गतिविधियों को Eletronic Platform पर अर्थात पूर्व के वर्षो की निर्माणाधीन आवासों की किश्त हस्तान्तरण की प्रकिया से हस्तान्तरित किया जावेगा।

योजनान्तर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरूप सामाजिक अंकेक्षण में प्रावधित राशि को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक M-13011/05/2013-RH dated 19th Feb., 2016 की पालना में हेतु योजना के दिशा–निर्देशानुसार निम्नानुसार कार्यवाही की जावें।

- वर्ष 2022 तक ''सभी को आवास'' ध्येय की पूर्ति हेतु ग्रामीण आवास कार्यकम की सभी गतिविधियों को Eletronic Platform पर (वर्ष 2015–16) हस्तान्तरित किये जाने हेतु लाभार्थियों, योजना कियान्वयन से जुडे कार्मिक व सामाजिक अंकेक्षण हेतु VRP/CRP आदि को ''मोबाईल एपलीकेशन एवं Eletronic Platform पर गतिविधियों बाबत् सघन प्रशिक्षण।
- विकसित मोबाईल एपलीकेशन को आमजन/लाभार्थियों की जानकारी हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार।

- जिला/राज्य स्तर की सामाजिक अंकेक्षण इकाईयों को सुदृढ करने हेतु आवश्यकतानुसार हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

अतः इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रशासनिक मद की प्रावधित राशि को दिनांक 31.03.2016 को तक शत प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करें, यदि सामाजिक अंकेक्षण बाबत् की दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को कोई देनदारी अवशेष रहती है तो इस कृत्य के लिए आप व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।

10/3/16

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

1 1 MAR 2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंरावि।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
7. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण, महात्मा गांधी नरेगा।
8. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रावि।
9. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग।
10. वित्तीय सलाहकार, महात्मा गांधी नरेगा।
11. परियोजना अधिकारी एवं पदेन उप सचिव, (मो. एवं मू) को वेब–साईट पर अपलोड कराने बाबत्।
12. समस्त जिला कलक्टर एवं कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा।
13. समस्त जिला प्रभारी आवास/अधिशाषी अभियन्ता, (आवास)।
14. समस्त परियोजना अधिकारी (लेखा/महात्मा गांधी नरेगा) जिला परिषद।
15. समस्त, सहायक लेखाधिकारी, सामाजिक अंकेक्षण, जिला परिषद।

निदेशक
सामाजिक अंकेक्षण, जयपुर

11/3/2016